

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 15 मार्च, 2024

विषय:- 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 हेतु Non Million Plus शहरों के लिये Tied Grant (निर्दिष्ट अनुदान) के द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, वित्त संसाधन (वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग के पत्र सं0-एफ0सी0सी0ए0-61/दस-2024-02/2020 दिनांक-15.03.2024 एवं भारत सरकार के पत्र सं0-15(3)FC-XV/FCD/2020-25 दिनांक-14.03.2024 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों के लिये 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 हेतु प्रदेश के Non Million Plus शहरों के लिये Tied Grant (निर्दिष्ट अनुदान) की प्राप्त धनराशि **रु० 533.1263 करोड़ (रु० पांच सौ तैतीस करोड़ बारह लाख तिरसठ हजार मात्र) 10 लाख से कम आबादी वाले नगरीय निकायों एवं कैन्टोनमेंट बोर्ड (यदि कोई हो) को आवंटित करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-**

नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध

- (1) उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस शर्त के साथ रखी जा रही है कि आपके द्वारा 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों/नीतियों का अक्षरशः पालन करते हुये, भारत सरकार के पत्र दिनांक-14.03.2024 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्धारित मानक के अनुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि 10 लाख से कम आबादी वाले नगरीय निकायों एवं कैन्टोनमेन्ट बोर्ड (यदि कोई हो) को बिना किसी कटौती के निर्धारित समयान्तर्गत (10 कार्य दिवस के अन्दर) उपलब्ध करायी जायेगी।
- (2) उक्त Tied Grant का उपभोग स्थानीय निकायों एवं कैन्टोनमेन्ट (बोर्ड यदि कोई हो) द्वारा 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार किया जायेगा।
- (3) 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत अवमुक्त उक्त धनराशि का उपभोग वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं0-एफ.15(2) एफसी-XV/एफसीडी/2020-25, दिनांक-28.07.2021 द्वारा निर्गत Operational Guidelines के प्राविधानों एवं 15वें वित्त आयोग की वर्ष 2021-2026 के लिये रिपोर्ट के अध्याय-7 (Chapter-7) की संस्तुतियों में उल्लिखित विषय पर ही की जायेगी।
- (4) केन्द्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट के प्रस्तर-7.132 में मिलियन प्लस सिटी के अतिरिक्त अन्य सिटी हेतु धनराशि के वितरण की प्रक्रिया का उल्लेख है, जिसके अनुसार धनराशि का आवंटन किया जायेगा।
 - (i) कैन्टोनमेन्ट बोर्ड (यदि कोई हो) के मध्य पारस्परिक आवंटन (Inter-Se Distribution) केन्द्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कैन्टोनमेन्ट बोर्ड की जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा
 - (ii) 15 वें वित्त आयोग की धनराशि का निकायों के मध्य आवंटन राज्य वित्त आयोग की अद्यतन संस्तुति के आधार पर किया जायेगा, जिसमें कैन्टोनमेन्ट बोर्ड को भी सम्मिलित किया गया हो। राज्य वित्त आयोग की किसी विशेष श्रेणी के लिए आवंटन

हेतु संस्तुति उपलब्ध न होने की स्थिति में आवंटन वर्ष 2011 की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के अनुपात 90:10 में की जायेगी।

- (iii) उक्त धनराशि कोषागार द्वारा ई पेमेन्ट के माध्यम से नागर स्थानीय निकायों एवं कैण्टोनमेन्ट बोर्ड (यदि कोई हो) को उनके द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में 15वें वित्त आयोग हेतु नियमानुसार खोले गये बचत खाते में स्थानान्तरित की जायेगी।
- (5) उक्त धनराशि नागर स्थानीय निकायों एवं कैण्टोनमेन्ट बोर्ड के 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत नियमानुसार खोले गये अलग-अलग बैंक खाते में निर्धारित समयान्तर्गत अन्तरित कराया जाय। उक्त बैंक खाता पी0एफ0एम0एस0 से लिंक होना अनिवार्य है।
- (6) धनराशि के आहरण की सूचना बाउचर संख्या व दिनांक सहित वित्त विभाग व नगर विकास विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
- (7) टेण्डर की कार्यवाही केवल अनुमोदित कार्यों हेतु की जायेगी।
- (8) इस अनुदान के लेखों का रख-रखाव संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इस अनुदान के उपयोग एवं सम्प्रेषण की प्रणाली निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- (9) 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत संस्तुत अनुदान राशि का उपयोग निर्धारित स्कीमों के अन्तर्गत किये जाने से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराये जाने होगा। तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथाशीघ्र भारत सरकार को वित्त विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना होगा।
- (10) उपयोगिता प्रमाण पत्र नगर निगमों के संबंध में नगर आयुक्त एवं नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों के संबंध में संबंधित जिलाधिकारी तथा कैण्टोनमेन्ट बोर्ड के संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ, महालैलाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- (11) उक्त अनुदान की धनराशि टाइड है, इसका उपयोग निकायों द्वारा टाइड ग्रान्ट हेतु समान अनुपात में (a) Drinking water (including rainwater harvesting and recycling) and (b) Solid Waste Management as recommended by FC-XV हेतु किया जा सकेगा।
3. नगर निगमों के संबंध में संबंधित नगर आयुक्त तथा नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों के संबंध में संबंधित अधिशासी अधिकारी तथा कैण्टोनमेन्ट बोर्ड के संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुरूप एवं समयबद्ध रूप से किया जाये। दिशा निर्देशों से हट कर किया गया व्यय अनुमन्य नहीं होगा तथा इसे वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। इसके लिये संबंधित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी / मुख्य कार्यपालक अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
4. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,33,12,63,000 (रुपये पांच अरब तैंतीस करोड़ बारह लाख त्रेसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217808000500 पन्द्रहवें वित्त आयोग - दस लाख से कम आबादी वाले नगरीय निकायों हेतु अनुदान मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
5. यह आदेश कापूर्व दिशा उत्तर संख्या E-9-668-(1)-X-2023-24- दिनांक: 15/03/2024 में प्राप्त वित्त विभाग को सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
15.03.2024
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 157 /2024/23मा.स.नि-9-24/004-E-1721372, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (रिपोर्ट ब्रांच)/ प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ०प्र०, प्रयागराज।
2. वरिष्ठ उपमहालेखाकार, स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), उ०प्र०, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
4. निदेशक (एफसीडी), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ०प्र० शासन।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
7. वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता अनुभाग), उ०प्र० शासन।
8. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल हेतु।

आज्ञा से,
15.03.2024
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।